अपील सूचना अधिकार संख्या 60/2022 (GCMS 2022/211) श्रीमती कान्ता देवी पत्नी बृजलाल जाति मेघवाल निवासी आर.सी.पी. कॉलोनी, वार्ड नं. 02, श्रीविजयनगर <u>बनाम</u> तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

<u>29.09.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्रीमती कान्ता देवी स्वयं उपस्थित नहीं हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थियां ने दिनांक 14.06.22 को तहसीलदार, सूरतगढ को इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था, लेकिन तहसीलदार, सूरतगढ़ ने अभी तक इंतकाल दर्ज करने की कोई कार्यवाही नहीं की, इसलिए प्रार्थियां ने सूचना का अधिकर अधिनियम के तहत इंतकाल दर्ज नहीं करने के कारण सूचना मांगी तो तहसील, सरतगढ ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./2022/551–52 दिनांक 06.04.222 के तहत उप तहसीलदार, राजियासर को सूचना देने के लिए लिखा गया, लेकिन आज दिनांक तक सूचना नहीं दी गई है। इसलिए प्रार्थिया ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.08.2022 को पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र से तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ से सूचना चाही थी, किन्तु अपीलार्थियां ने अपील के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) से वांछित सूचना का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है।

Signature Not Verified

उप तहसीलदार (भू... राजियासर स्टेशन ने अपने पत्रांक 58 दिनांक 23.9.2022 से अपील की ... निर्देशानुसार प्रेषित किया है और अपील के जवाब की प्रति प्रार्थिया को प्रेषित की है:

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 08.04.2022 को राजेश कुमार एडवोकेट श्रीविजयनगर ने अपनी माता कान्ता देवी के नाम से चक 5 बीकेएम के प.न. 78/10, 78/02, 78/09 के कुल 21 बीघा कृषि भूमि का बैयनामा एसआर साहब राजियासर के पंजीबद्ध क्रमांक 202103219100945 दिनांक 30.07.2021 को पंजीयन बैयनामा के नामान्तरण बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके सम्बन्ध में पटवारी हल्का 6 जीडीएम द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि प्रार्थी द्वारा जो पंजीबद्ध बैयनामा प्रस्तुत किया गया है कि रामस्वरूप पुत्र चोथाराम, मूर्ति देवी पुत्री चोथाराम, राणी पुत्री चोथाराम, विनोद पुत्र स्व. पपुराम जरिये मूर्ति देवी पुत्री चोथाराम पत्नी शंकरलाल, मन्नु उर्फ मंजु पुत्री स्व. पप्पु राम जरिये मूर्ति देवी पुत्री चोथाराम पत्नी शंकरलाल जाति मेघवाल निवासीगण चक 5 बीकेएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के प.न. 78/10 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 10 की 6 बीघा, प.न. 78/02 के किला नं. 1 ता 9 व 12 की कुल 10 बीघा व प.नं. 78/09 के किला नं. 10,11 व 20 ता 22 की कुल 5 बीघा कुल भूमि 21 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड का विक्रय पत्र में दर्ज है मुताबिक राजस्व रिकार्ड विक्रेताओं में रामस्वरूप 1.019, राणी 1.019 है., मूर्ति देवी 1.020 है., विनोद, मंजू 1.530 है. कुल 4.588 है. रकबा ही दर्ज है जिसके सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 04.05.2022 को कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.), सूरतगढ़ में रिपोर्ट दे दी गई। उक्त के सम्बन्ध में प्रार्थी को सूचित कर दिया गया। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 16.09.222 को प्रार्थी ने उपतहसील कार्यालय राजियासर में एक शपथ पत्र देकर सहमति प्रदान की है कि मुताबिक बैयनामा 4.588 है. हिस्सा [illegible] नामान्तरण प्रार्थी के पक्ष में किया जाये तो [illegible] बैयनामा व प्रार्थी के शपथ अनुसार पटवारी हल्का को नियमानुसार उक्त इंतकाल दर्ज करने हेतु दिनांक 22.0[illegible]22 को निर्देशित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:25 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
उपतहसीलदार (भू.अ.)
राजियासर स्टेशन

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 23.09.2022 से अपील का जवाब प्रेषित किया है, जिसकी प्रति उन्होनें अपीलार्थिया को भी प्रेषित की है परन्तु उनके द्वारा अपीलार्थी को उसके प्रार्थना पत्र पर कोई जवाब दिया जाना प्रतीत नहीं होता है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील तहसीलदार, सूरतगढ को रिमाण्ड करनी उचित होगी।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ रिमाण्ड की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को **पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दि[illegible]09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:25 IST
Reason: SelfAttested

(रूकमणी रियार सिहाग)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर